न्यायालय – उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर करेड़ा
पीठासीन अधिकारी – रजनी माधीवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 03/2018 रा.वा.

अनवान

श्री सुखलाल आत्मज राधा उर्फ रागा भील निवासी विलेश्वर तहसील करेड़ा

–वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा

–प्रतिवादी

वादपत्र बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 ,89 रा० का० अधि०
वादपत्र बाबत् घोषणा इन्द्राज दुरस्ती
प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 80(2) जा.दी.

उपस्थित :–

श्री ताराचंद जैन अधिवक्ता–वादी
पेरोकार सरकार –प्रतिवादी

निर्णय दिनांक 11–06–2018

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन प्रेषित किए गए। प्रतिवादी तहसीलदार करेड़ा द्वारा प्रस्तुत जवाब मे मुख्यतः यह उजर रहा कि राधा उर्फ रागा पिता केसु भील के एक और वारिस पुत्री कमला पत्नी बंशीलाल भी है जो ग्राम डांग का खेडा तहसील करेडा में निवास करती है। इस पर कमला पत्नी बंशीलाल निवासी डांग का खेडा के संबंध में पटवारी करेडा से रिपोर्ट प्राप्त की जिसमें कमला पत्नी बंशीलाल को वादी सुखलाल की बहिन बताते हुए राधा उर्फ रागा भील की वारिसान बताया। इस पर वादी द्वारा जवाबुल जवाब पेश किया कि श्रीमती कमला देवी पत्नी बंशीलाल निवासी डांग का खेडा राधा उर्फ रागा पिता केसु भील की पुत्री नहीं होकर उनकी नातायत पत्नी धन्नी के साथ गेलड के रूप में आई है। श्रीमती कमला देवी पत्नी बंशीलाल निवासी डांग का खेडा स्वयं न्यायालय मे उपस्थित हुई तथा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर बताया कि वह राधा उर्फ रागा भील की पुत्री नहीं होकर उनकी नातायत पत्नी धन्नी के साथ गेलड के रूप में आई है तथा विवादग्रस्त आराजियात का इन्तकाल वादी के नाम कर दिया जावे तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।

मैने पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया प्रतिवादी द्वारा उठाये गये उजर के संबंध में कमला पत्नी बंशीलाल द्वारा प्रस्तुत जवाब में विवादग्रस्त आराजियात का इन्तकाल वादी के नाम करने पर कोई आपत्ति नही होना अंकित करने से वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। अतएव

आदेश

वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम चिलेश्वर तहसील करेड़ा के आराजी नं0 2747/1684 रकबा 4.10 बीघा जो वादी की माता धन्नी पिता काना भील के नाम है तथा आराजी नं0 1719 रकबा 4.01 बीघा जो वादी के पिता राधा पिता केशु भील के नाम है को वादी सुखलाल आत्मज राधा उर्फ रागा भील निवासी चिलेश्वर के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावें। पक्षकारान् वाद व्यय अपना–अपना वहन करे।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 11–06–2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया । निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिव किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे ।

(रजनी माधीवाल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
करेडा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

डिक्री

(आदेश 20 नियम 6 / जा0दी0)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)

बईजलास सुश्री रजनी माधीवाल (आर0ए0एस0)

अनवान

श्री सुखलाल आत्मज राधा उर्फ रागा भील निवासी चिलेश्वर तहसील करेड़ा

–वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा

–प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, मुकदमा नं. 03 / 18 निर्णय दिनांक 11.06.2018

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई हिजरी वकील वादी श्री ताराचंद जैन मिनजानिब मुददई व पेरोकार सरकार मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट स्वीकार कर ग्राम चिलेश्वर तहसील करेड़ा के आराजी नं0 2747 / 1684 रकबा 4.10 बीघा जो वादी की माता धन्नी पिता काना भील के नाम है तथा आराजी नं0 1719 रकबा 4.01 बीघा जो वादी के पिता राधा पिता केशु भील के नाम है को वादी सुखलाल आत्मज राधा उर्फ रागा भील निवासी चिलेश्वर के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जानें बाबत डिकी प्रदान की जाती है। फरिकेन खर्चा अपना–अपना वहन करें।

आज तारीख 11.06.2018 को डिकी मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(रजनी माधीवाल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner